भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं- 3647
उत्तर देने की तारीख-- 11/08/2025

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की ड्रॉपआउट दर

†3647. **श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षणिक सस्थाओं से वंचित वर्गों के छात्रों की पढ़ाई छोड़ने की दर का ब्यौरा क्या है;
(ख) 2024-2025 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों से अपिव, अजा और अजजा श्रेणियों के कुल कितने छात्र पढ़ाई छोड़ चुके हैं;
(ग) क्या उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्थान-वार समान अवसर प्रकोष्ठ और अजा/अजजा प्रकोष्ठ हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं और वे एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम से दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उच्चतर शिक्षा में ड्रॉप आउट की कोई अवधारणा नहीं है। तथापि, उच्चतर शिक्षा में पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम जैसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना जैसी वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति, वंचित समूहों की फीस माफी/कटौती, पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना जैसे अध्ययन ऋण को बढ़ावा देना, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्र सहायता प्रणाली जैसे परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करना, ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग (ओडीएल) के तहत पहल जैसे स्वयं, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) और ई-पीजी पाठशाला उठाए हैं। इसके अलावा, एनईपी

2020 के आलोक में, शैक्षणिक सुधारों के लिए कई पहल जैसे बहु प्रवेश और निकास विकल्प, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) इत्यादि शुरू की गई हैं।

शिक्षा में समानता और समावेशन के मुद्दों के समाधान हेतु, सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण और पहल शुरू की है। यूजीसी (उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देना) विनियमवली, 2012 अधिसूचित की गई हैं, जो इसके परिधि में आने वाले सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं पर लागू हैं। यह उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को छात्रों की जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके हितों की रक्षा के लिए उपाय करने का प्रावधान करता है। यह विनियम प्रत्येक विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना और भेदभाव-रहित अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह छात्रों, शोधार्थियों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित संकाय सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के साथ परामर्श केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान करता है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रों के किसी भी मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए, संस्थानों ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, विद्यार्थी शिकायत प्रकोष्ठ, विद्यार्थी शिकायत समिति, विद्यार्थी सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों के बीच समानता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

***